न्यायालय अपर सिविल जज(सी0डि0)न्यायालय सं0–3 आगरा।

उपस्थितिः कविता मिश्रा पी0 सी0 एस0 (जे0)

मूल वाद संख्या–894/1986

श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री दाताराम मूल निवासी– ग्राम गुवरारी डाकखाना मुरसान तहसील हाथरस जिला अलीगढ वर्तमान निवासी– डी018/1 दीवानी न्यायालय प्रागंण , आगरा।

.... **वादी**

बनाम

1. रामवीर सिंह।
2. राजवीर सिंह।
3. बलवीर सिंह मृतक करीब वर्ष 2000

3/1 श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री बलवीर सिंह।

3/2 श्याम सिंह ।

3/3 राकेश सिंह ।

3/4 श्री धूरिया

समस्त पुत्रगण बलवीर सिंह नि0 गांव सौरई तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।

4. श्रीमती रामकली विधवा स्व0 श्री सालिगराम –मृतक

4/1 श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री खेम सिंह निवासी– भोलू का नगला मौजा मढाका थाना सलेमपुर/सहपऊ –वाया (सादाबाद) व जिला मथुरा।

4/2 श्रीमती नांरगी देवी पत्नी श्री भीम सिंह उर्फ भीमा निवासी– ग्राम डौम नगरिया मौजा सैदपुर उर्फ कासिमपुर डाक0 नगला बली उर्फ कटैला वाया बल्देव जिला मथुरा।

.... **प्रतिवादीगण**

–निर्णय–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुव0 44220.49 रूपये मय ब्याज दौरान वाद एवं अदायेगी की दिनांक तक की वसूलयावी हेतु प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में वादी का कथन इस प्रकार है कि वादी ग्राम गुवरारी तहसील हाथरस जिला अलीगढ का मूल निवासी' है तथा लगभग 23 वर्षो से उ0 प्र0 राजकीय सेवा में है। वह जुलाइ 1981 में आगरा में सांख्यिकी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था तथा दीवानी न्यायालय प्रांगण में बने राजकीय आवास संख्या–डी–18/1 में निवास करता था। वादी की ससुराल ग्राम सोरई तहसील एत्मादपुर जिला आगरा में है। प्रतिवादीगण वहीं के मूल निवासी है। वादी के ससुर श्री कमल सिंह के परिवार से प्रतिवादीगण का काफी समय से

घनिष्ठता का सम्बन्ध है। दिनांक 4.1.1981 को प्रतिवादीगण बाबूलाल के साथ वादी के निवास डी018/1 दीवानी न्यायालय प्रांगण में आये और वादी को बताया कि प्रतिवादी संख्या–1 रामवीर सिंह की कुछ गांव के व्यक्तियों से रंजिश हो गयी है और उनके जीवन को भय उत्पन्न हो गया है। अतः उसे संरक्षण दे दिया जायें । जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 को अस्थायी रूप से अपने निवास पर रहने की अनुमति दी गयी। प्रतिवादीगण ने वादी से आर्थिक सहायता भी मांगी तथा यह कहा कि खेती की जो उपज होगी उससे वह वादी द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता को चुका देगें। वादी लेन देन का व्यापार नहीं करता है और न ही जीवन यापन का साधन लेन देन एवं उससे प्राप्त ब्याज हैं । प्रतिवादीगण के परिवार की घनिष्ठता को देखते हुये वादी ने समय समय पर प्रतिवादीगण को आर्थिक मदद की जिसका विवरण वादपत्र में दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के लिए जो तिलहन व गल्ला छांटकर रखा था वह भी बेचकर वादी की धनराशि अदा नहीं अदा नहीं की गयी। समय समय पर हिसाब लिखा गया, जिस पर रामवीर सिंह प्रतिवादी व वादी ने हस्ताक्षर किये जिसका विवरण वादपत्र में दिया गया है। वादी के प्रतिवादीगण पर मय ब्याज वाद दायर करने की दिनांक को मुव0 44220.49 रूपये बकाया थे जिनको मांगने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा अदा नही किया गया। अतः यह वाद दायर करना पड़ा है। अतः याचना की गयी है कि मुव0 44220.49 रूपये मय ब्याज दौरान वाद व अदायेगी तक दिलाया जाये।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र 18क एवं अतिरिक्त प्रतिवादपत्र 121क दाखिल किया गया तथा यह कहा गया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वादी द्वारा इस प्रकार का झॅठा वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद धारा 10,14,15,व 18 उ0 प्र0 रिकवरी ऑफ मनी लैण्डिग अधिनियम 1976 के प्रावधानों से बाधित है। सत्यता यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा एक प्लॉट 492 वर्गगज का खसरा सं0 217 ग्राम जगनपुर तहसील व जिला आगरा में विक्रयपत्र सं0 285 दि0 12.4.1982 को 17220/– रूपये में क्रय किया था जिसको वादी हड़पना चाहता है। उसके द्वारा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही भी प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। वादी की इच्छा पूरी नही हुई जिसके कारण उसने झूंठा दस्तावेज तैयार कर यह वाद प्रस्तुत किया है । अतः

प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

वादी की ओर से रैप्लीकेशन 24क दाखिल किया गया जिसमें वादपत्र के कथनों का समर्थन व प्रतिवादीगण के कथनो का खण्डन किया है।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1. क्या वादी प्रतिवादी से 44220.49 रूपये पाने का अधिकारी है?
2. क्या प्रतिवादी ने वादी से भिन्न–भिन्न तारीखों में कथित भिन्न धनराशियॉ प्राप्त की और भिन्न तारीखों पर सामान दिया?
3. क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ?
4. क्या वाद उ0 प्र0 रेगूलेशन ऑफ मनी लैण्डिग अधिनियम की धारा 10,14,15,व 18 से बाधित है?
5. क्या वादी ने अधिनियम 1976 रैगूलेशन ऑफ मनी लैण्डिग एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन किया है? यदि हां तो प्रभाव?
6. अन्य अनुतोष।

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी0डब्लू–1 के रूप मे परीक्षित कराया गया तथा, साक्षी पी0डब्लू–2 के रूप में महेन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पी0डब्लू–3 के रूप में आलोक कुमार जैन का साक्ष्य शपथपत्र, को परीक्षित कराया गया है जिनसे प्रतिवादीगण की ओर से जिरह की गयी।

प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथपत्र डी0डब्लू–1 के रूप में , साक्षी डी0डब्लू–2 के रूप में राजकुमार श्रोत्रिय अंगुल चिन्ह एवं हस्तलेख विशेषज्ञ का शपथपत्र साक्ष्य दाखिल किया जिनसे वादी की ओर से जिरह की गयी।

वादी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त 7ग से 2 प्रपत्र ,8ग फेहरिस्त से 31 प्रपत्र , 10ग फेहरिस्त से एक प्रपत्र, 41ग फेहरिस्त से 22 प्रपत्र 65ग फेहरिस्त से 30 कागज, 159ग फेहरिस्त से 3 प्रपत्र 160ग हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट , निगेटिव व 12 फोटो, 142ग फेंहरिस्त से 3 प्रपत्र, 162ग फेहरिस्त से 6 प्रपत्र , 315 फेहरिस्त से एक प्रपत्र , 325 ग फेहरिस्त से 5 प्रपत्र दाखिल किये गये ।

प्रतिवादीगण की ओर से फेहरिस्त 20ग से 9 प्रपत्र व फेहरिस्त 174 ग से

हस्तलेख विशेषज्ञ की आख्या दाखिल की गयी।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध मोखिक एवं प्रललेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया ।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1 व 2

वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 इस प्रकार विरचित किये गये है कि क्या वादी प्रतिवादी से 44220.49 रूपये पाने का अधिकारी है तथा क्या प्रतिवादी ने वादी से भिन्न भिन्न तारीखों में कथित भिन्न धनराशियॉ प्राप्त की और भिन्न तारीखों पर सामान दिया? चूंकि वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 एक दूसरे से अन्तरसम्बन्धित है इसलिए इनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित होगा। इन वाद बिन्दुओं के निस्तारण में इनका साक्ष्य पढा जाना समीचीन है।

उपर्युक्त दोनो वाद बिन्दुओ के साथ साथ निस्तारण करने के कारण पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत परिशीलन किया । अब सर्वप्रथम यहॉ यह देखना है कि क्या प्रतिवादी ने वादी से भिन्न भिन्न तारीखों पर कथित भिन्न धनराशियॉ प्राप्त की और भिन्न तारीखों पर सामान दिया।

इस बिन्दु के निर्धारण हेतु पी0डब्लू–1 मक्खन सिंह का विस्तृत जिरह पत्रावली पर उपलब्ध है। यह निर्विवाद तथ्य है कि प्रतिवादी वादी के घर डी018/1 दीवानी न्यायालय प्रांगण में रहा था। पी0डब्लू–1 ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण मेरी ससुराल के रहने वाले है और मेरे ससुराल वालो से इनके घनिष्ठ एक मधुर सम्बन्ध है। कोई रिश्तेदारी नही है। गांव के नाते सम्बन्ध है। मेरा प्रतिवादीगणों से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण से मेरा सम्बन्ध सन् 1981 से हुआ है। बादहू कहा कि इससे पूर्व का भी है। मुझे याद नहीं सन् 1981 से पूर्व लगभग पांच छः साल मेरे सम्पर्क में आये । पी0डब्लू–1 ने आगे अपनी जिरह में यह भी कहा है कि इनके गांव में मेरी ससुराल होने के कारण यह मुझसे ससुराल में एवं डी–18/1 दीवानी कचहरी कम्पाउण्ड में भी सम्पर्क में आये थे। । सभी प्रतिवादीगण से एक साथ सम्पर्क नहीं हुआ। फिर कहा कि वर्ष 1981 से पूर्व एक साथ सम्पर्क नही हुआ। । सन् 1981 में एक साथ सम्पर्क हुआ। मेरे साले बाबू लाल के माध्यम से मेरा

परिचय कराया। श्री बाबू लाल अभी जीवित है। घर जनवरी सन् 1981 से मेरा प्रतिवादीगण से लेन हुआ । लेन देन की बातचीत करने के लिए सभी प्रतिवादीगण मेरे पास एक साथ आये थे। इस साक्षी ने आगे अपनी जिरह में यह भी कहा है कि मैं दीवानी कचहरी कम्पाउण्ड में मं0 नं0 डी–18/1 अपने निवास पर मिला । प्रतिवादी सं01 ने मुझसे 1000/– रूपये मांगे थे। मैने उसी दिन दिये थे। मुझे याद नही है कि उस समय और कोई था अथवा नहीं। मैंने उस 1000/– रूपये की अपने रिकोर्ड में लिखा पढी की थी। जिस किसी को मै पैसा उधार देता हूॅ, आवश्यकता के अनुसार अपने रिकोर्ड में नोट कर लेता हूॅ। जब कोई याद चीज आती है तभी समय समय पर रिकोर्ड कर लेता हूॅ। जिस समय मै किसी को पैसा देता हूॅ । उस समय भी लिख लेता हूॅ। कागजों में ये सभी इन्द्राज किये गये है। प्रतिवादीगण से जो भी लेन देन हुये है वे सभी रिकोर्ड पर लिखे है। रिकोर्ड न्यायालय में मैने दाखिल किया है। मुझे याद नही है कि जब जब मैने प्रतिवादी को पैसा दिया है तब दस्तखत कराये या नही, खुद कहा कि रिकोर्ड देखकर बता सकता हूॅ। मेने प्रतिवादी के अलावा किसी से लेन देन नही किया । दिनांक 4.1.81 से 5.1.84 तक प्रतिवादी संख्या–1 मेरे सरकारी निवास में रहे । इस साक्षी ने आगे भी अपनी जिरह में यह कहा है कि प्रतिवादीगणों ने मुझसे दिनांक 4.1.81 को आर्थिक सहायत की मांग की थीं। आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि यह लेन देन की बात मक्खन सिंह वादी, रामवीर सिंह, बलवीर सिंह, राजवीर सिंह तथा इनकी माताजी रामकली प्रतिवादीगण , बाबू सिंह उर्फ बाबू लाल, हमवीर सिंह, महेन्द्र सिंह व शिवचरन सिंह आदि के सामने हुई थी । ब्याज के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। दिनांक 17.1.82 को 6000/– रूपये, दिये थे। दिनांक 10.2.82 को 1000/– रूपये , 22.2.82 को 2000/– रूपये, आदि समय समय पर देता रहा। मुव0 6000/– रूपये पहले भी मैने धनराशि दी थी । मैने 6000/–रूपये से पहले कुल कितनी धनराशि दी , याद नही है। मुव0 6000/– रूपये से पहले दी गयी धनराशि मुझे ध्यान नही है कि किसके सामने दी गयी थी, 6000/– रूपये से पहले की धनराशि 1000/– रूपये की थी 1000/– रूपये से पहले की धनराशि मैने हमवीर सिंह, महेन्द्र सिंह, व शिव चरन आदि के सामने दी थी। आदि में कितने लोग शामिल है याद नही है। एक हजार रूपये

से पहले लगभग 4—5 बार और आर्थिक सहायता की थी। आगे अपनी जिरह में इस साक्षी ने यह भी कहा है कि जब दो चार धनराशि की प्रविष्टियॉ हो जाती थी, तभी मै हिसाब कर लेता और दस्तखत करा लेता । मुव0 6000/— रूपये प्रतिवादी रामवीर ने अपने गांव में ही मेरी लाही सरसों बेचकर ले लिया था। लाही सरसों मैने खरीदा नही था। हिसाब के दौरान प्रतिवादी ने लाही सरसों जो मेरे पैसे की एवज में था, उसे तौलकर रख लिया था। तब मेरे कहने पर उन्होने बेचा और उसी में से 6000/— रूपये अपने पास रख लियें। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि दिनांक 23.7.82 को जो लाहा, गैहूं, चना , अरहर , घी दिया था उसका हिसाब बताया । सामान रामवीर वही तोलकर रख आया था, घी मुझे लाकर दे दिया था। इसकी लिखा पढी कागजों पर होती रही। 32.56 कुन्टल लाहा 430/— रूपये की रेट से बेचकर मेरे 14000/— रूपये प्रयोग में ले लिये । मुव0 14000/— रूपये के बाद 200/—रूपये का भुगतान और किया था । दिनाक 3.8.82 को रामवीर सिंह ने अपना लिखा हुआ पत्र मुझे भेजा था जिसमें लिखा था कि आपका लाहा बेच दिया है। काम हो गया है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि दिनांक 23.7.82 को गेहूं कीदर 125/— रूपये प्रतिकुण्टल लगाई । लाहा की दर 350/— रूपये लगायी गयी। चना की दर 245/— रूपये प्रतिकुण्टल लगायी। लेन देन भी इसी हिसाब से हुआ था, 24 कुन्टल लाहा दिया गया था जिसकी कीमत 10200/— रूपये काटकर तब मेरे दिनांक 1.5.83 को रू0 11000/— रूपये शेष निकलें। दिनांक 21.6.83 को जो 7000/— रूपये ट्रैक्टर के लिए दिये थे उसी स्वीकृति प्रतिवादीगण ने की। दिनांक 2500/— रूपये ट्रैक्टर के लिए दिनांक 21.6.83 को दिये थे , किसके सामने दिये थे , मुझे याद नही है। दिनांक 1.11.83 का हिसाब हमवीर, मक्खन सिंह वादी, आदि के समय हुआ आदि में ओर किसी का नाम याद नही है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि मैने प्रतिवादी सं01 से किस किस के सामने पैसे मांगे ,मुझे याद नही है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि ब्याज की दर प्रारम्भ में कोई तय नही हुई थी। बाद में प्रतिवादीगणो के द्वारा दो प्रतिशत तथा तीन प्रतिशत माहवार तय की गयी थी। दो प्रतिशत दिनांक 20.6.81 से लगायी गयी किस तारीख को तय हुई तारीख ध्यान नही है। तीन प्रतिशत की भी तय होने की तारीख याद

नही है। आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि 42 ख एक ही तारीख में एक ही समय पर लिखा गया है इस पर प्रतिवादीगण के कोई हस्ताक्षर नही है। 42 ख पर लिखा गया नाम मेरे साले का है। 43 ख पर भी किसी के हस्ताक्षर नही हैं 44ख की पुश्त पर भी किसी के हस्ताक्षर नही है। हिसाब की कुछ तारीखों पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर कराये , कुछ पर नहीं कराये । कागज सं0 45ख पर किसी के हस्ताक्षर नही है यह 45ख भी मैने अपनी याददाश्त से ही तैयार किया है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि कागज सं0 9ग/1 गुमशुदा कागज सं0 42 ख की कापी है । कागज सं0 9ग/2 गुमशुदा कागज सं0 43 ख की कापी है। कागज सं0 9ग/3 गुमशुदा कागज 44ख की कापी है, 9ग/4 गुमशुदा कागज सं0 45 ख की कापी है। 9ग/4 पर किसी के हस्ताक्षर नही हैं 9ग/4 एक दिन में तैयार हुआ या कई दिन में तैयार हुआ, मुझे याद नही है। किसके सामने तैयार हुआ यह भी याद नहीं है। कागज सं0 9ग/5 इस वाद के सब्जेक्ट मेटर से नही है इस पर रामवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं यह कहना गलत है कि कागज सं0 9ग/5 पर रामवीर सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बनाये हो। कागज सं0 9ग/6 केवल प्लॉट से सम्बन्धित है। यह पत्र मैने रामवीर के कहने से अपने लिए लिखा था। इस साक्षी ने आगे अपनी जिरह में यह भी कहा है कि 9ग/7 पर मक्खन सिंह और रामवीर सिंह के हस्ताक्षर हो रहे है। कागज सं0 9ग/7 एक ही तारीख में लिखा गया या कई तारीखों में लिखा गया ,मुझे याद नही है। कागज सं0 9ग/1 लगायत 9ग/7 मेरे द्वारा सही रूप से तैयार किये गये है। मुझे याद नही है कि नकद पैसे का लेन देन भी हुआ हो। 9ग/8 पर किसी के हस्ताक्षर नही है 9ग/8 पर जो इन्द्राज हो रहे है उन पर मैने तारीखों का उल्लेख नही किया है कागज सं0 9ग/9 मेरे हाथ का है इस पर मेरे हस्ताक्षर नही हो रहे है। केवल रामवीर के हस्ताक्षर हो रहे है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि कागज सं0 9ग/7 लगायत 9ग/9 किसके सामने तैयार हुये थे , मुझे याद नही है। कागज सं0 9ग/10 रामवीर के हाथ का लिखा हुआ है। 9ग/10 रामवीर ने किसी व्यक्ति के द्वारा भेजा था, मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है। कागज सं0 9ग/11, 9ग/12 मेरे हाथ का ही है। कागज सं0 9ग/12 किस तारीख को तैयार हुआ मुझे नही मालूम। दिनांक 15.11.82 से दिनांक 1.5.83 तक के बीच का कोई हिसाब नहीं हैं । हिसाब

जनवरी फरवरी 1984 तक चला है। वर्ष 81 से 84 के बीच में किस किस अवधि का हिसाब नही हुआ, मुझे याद नहीं है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि 9ग/13 बैक ने अपने रिकोर्ड के आधार पर तैयार किया है, ये कागज 9ग/13 मेरे द्वारा दूसरे दावें में भी दाखिल किया है जो मैने प्रतिवादी के खिलाफ किया है। 9ग/13 पर जो बैक से पैसा आया है। वह मैने अपने हिसाब किसाब में दर्शाया है। कागज सं0 9ग/13 पर किसके हस्ताक्षर हो रहे है मै नही पहचानता। इस पर बैंक की मौहर साफ नहीं है, लेकिन बैंक की मौहर है। कागज सं0. 9ग/14 व 9ग/15 किस किस तारीख तक के है ,मुझे नही मालूम। मुव0 11000/– रूपये, 7000/–रूपये, व 13585/–रूपये दिनांक 1.5.83 से पहले के है, मुझे नही मालूम। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि 9ग/16 मुझको सम्बोधित है। यह पत्र वाई पोस्ट आया था या नही, मुझे नही मालूम। कागज सं0 9ग/17 मैने रामवीरसिंह की शिकायत दिल्ली में की थी। कागज सं0 9ग/17 पर 420, व धोखाधडी मैने लिखा है। 9ग/17 कागज श्री जी0एल0 सिंहाराव ने मुझे भेजा था। कागज सं0 9ग/18 मेरे हाथ का हैं । कागज संख्या–9ग/20 थाना न्यू आगरा की रिपोर्ट है। कागज संख्या–9ग/21 लगायत 28 रामवीर सिंह का लिखित कथन है, । कागज सं0 9ग/29 लगायत 9ग/31 रामवीर सिंह की जिरह हैं कागज सं0 9ग/32 लगायत 9ग/24 इकरार नामा है जो रामवीर ने अपनी खेती की जमीन के बावत मेरे साले के ससुर के नाम किया है। कागज संख्या–9ग/35 प्लॉट से सम्बन्धित है तथा आर्थिक सहायता से सम्बन्धित है। कागज सं0 9ग/36 लगायत 9ग/40 फर्जी हो, यह कहना गलत है। यह कहना भी गलत है कि कागज सं0 9ग/41 लगायत 9ग/43 फर्जी हो। कागज सं0 66ग लगायत 96ग पूर्व में दाखिल किये गये कागजों की प्रतियॉ है। कागज सं0 143ग/1 लगायत 143ग/10 क्या कागज है मुझे नही मालूम। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि कश्यप जी ने फोटोग्राफी मेरे सामने की थी जिसकी रिपोर्ट मेरे सामने तैयार नही हुई। मुझे नही मालूम कि एक्सपर्ट रिपोर्ट में क्या लिखा है। यह मैने नहीं पढ़ी है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि श्रीमती रामकली ने भी मुझसे लेन देन किया था। मुझे नही मालूम कि रामकली के लेन देन के कागजो पर हस्ताक्षर हुये या नही। यह कहना गलत है कि मेरा कभी प्रतिवादीगण से लेन देन न हुआ

हो। यह कहना गलत है कि मैने प्रतिवादीगण का प्लॉट हड़पने हेतु व दबाव बनाने हेतु झूंठा दावा किया हो।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में कोई भी विर्निदिष्ट अनुतोष की मांग नही की गयी सिर्फ यह कहा गया है कि प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री मय ब्याज पारित की जाये। वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया कि वादपत्र में विर्निदिष्ट अनुतोष की मांग की गयी है तथा वाद खारिज होने योग्य नहीं है। इस बिन्दु पर पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र में संशोधन के उपरान्त धनराशि अंकित की गयी है उसमें अस्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वादी का वाद बिना किसी याचित अनुतोष के है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से दूसरा यह तर्क दिया गया है कि पत्रावली में उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्य में दाखिल कागजात फोटोस्टेट है जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है, परन्तु यहां उल्लेखनीय तथ्य है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार पत्रावली में समस्त प्रपत्रों का पुनर्गठन किया गया है तथा इन सभी फोटोस्टेट प्रपत्रों पर न्यायालय के हस्ताक्षर व मौहर है इसलिए वह साक्ष्य में ग्राह्य हैं। इस बिन्दु पर कोई अविद्य मानता नही है।

वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 के निस्तारण के इसी अनुक्रम में वादी की ओर से पी0डब्लू–2 के रूप में महेन्द्र सिंह, व पी0डब्लू–3 के रूप में आलोक कुमार जैन को परीक्षित कराया गया हैं जिनकी पत्रावली पर विस्तृत जिरह उपलब्ध है।

पी0डब्लू–2 महेन्द्र सिंह ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मुझे नही मालूम कि मक्खन सिंह और रामवीर के बीच किरायेदारी की बात हुई या नही । रामवीर पर अच्छी खेती वाडी होगी। मुझे नही मालूम कि रामवीर और उसके भाईयों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मेरे सामने मक्खन सिंह ने रामवीर सिंह को करीब दो बार पैसे दिये है फिर कहा कि मेरे सामने दो बार पैसे दिये हे। रामवीर व मक्खन सिंह का कभी कोई हिसाब किताव मेरे सामने नही हुआ। मेरे सामने मक्खन सिंह ने सबसे पहले रामवीर को दिनांक 23 मई 1981 को 940/– रूपये बन्दूक के लिए दिये थे। मई 1981 में मेरे केस में कितनी तारीखें पढी मुझे नही मालूम। मै कही कोई लिखा पढी तारीखों की नही करता।

मुझे याद नही है कि दिनांक 23 मई 1981 को मेरे जीवन में कोई घटना घटित हुई हो या कोई त्यौहार हो। यह तारीख मुझे मक्खन सिंह ने बतायी थी। मुझे नही मालूम कि इस साल में मेरे केस मे ंकितनी तारीखें पढी । केस मेरे पिताजी लड़ रहे थे। सन् 80 से 90 के बीच किस महीने में कितनी इनकम मुझे हुई, मुझे नही मालूम। मक्खन सिंह द्वारा रामवीर को रूपये दिये जाने की तारीख कुदरती याद है। दूसरी बार पैसे मक्खन सिंह ने बलवीर सिंह को दो हजार रूपये दिये थे। मक्खन सिंह ने बलवीर सिंह को रूपये मेरे सामने दिये थे। फिर कहा कि मक्खन सिंह ने बलवीर सिंह को रूपये गिनकर दे दिये , उस समय मेरे अलावा और कोई नही थां। दो हजार रूपये देने की तारीख मुझे कुदरती याद नही है बल्कि उस दिन शिव रात्रि थी, इसलिए मुझे तारीख याद है। मुझे नही मालूम कि रामवीर ने मक्खन सिंह को कोई पैसे दिये या नही। दूसरी वार मै शिवजी के मन्दिर खन्दारी चौराहे पर आया था तो मक्खन सिंह से वैसे ही मिलने चले आया था फिर कुछ समय बाद चला गया था,। मुझे याद नही है कि मैने पूव्र में किसी अन्य केस में रामवीर के खिलाफ गवाही दी हैं । यह कहना गलत है कि मक्खन सिंह ने प्रतिवादीगण को कभी कोई पैसा न दिया हो।

पी0डब्लू–3 आलोक कुमार जैन जो हैण्ड राइटिग एण्ड फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट है, ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मुझे एक्सपर्ट के रूप में कार्य करते हुये 24 साल हो चुके है । मै रिपोर्ट डाक द्वारा सीधे न्यायालय में भेजता हूॅ कभी कभी पार्टी को भी दे देता हूॅ। मैने जो अपनी जांच आख्या दी है उसमें सभी उपकरणों का उपयोग किया है ए–6 से लिखे गये 30.12.81 की तुलना डी–1 में लिखे अंकों से की है। ए–6 व डी–1 में अंको की तुलना का आधार मैने सभी लिये है। मैने अंको की तुलना करते हुए अलग से कोई विवरण नही दिया केवल फोटो में दिये गये कुछ बिन्दुओं के आधार पर तुलना की है जो फोटो में कर्वो लाइन व स्लोट लाइन से दिखाये है व अन्य लक्षणों का विवरण रिपोर्ट में दिया है। नमूने के हस्ताक्षर व नमूने की लिखावट मैने नही ली। यह कहना गलत है कि मैने हस्ताक्षरो की जांच वैज्ञानिक तरीके से नही की हो । मैने जो फोटो लिये है उनमें कुछ मूलदस्तावेज थे कुछ फोटोस्टेट है। यह कहना गलत है कि मेरी रिपोर्ट गलत हो और वादी से मिलकर दी हो ।

डी0डब्लू–1 रामवीर ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि मै मक्खन सिंह को सन् 1981 से जानता हूँ। इनकी ससुराल मेरे गांव में है। सन् 1980 में मेरी मुलाकात मक्खन सिंह से उनके मकान पर हुई थी। मक्खन सिंह ने अपने मकान पर मुझे बुलाया था। मक्खन सिंह दीवानी कचहरी के सरकारी क्वाटर सं0 डी–18/1 में रहते थे। मक्खन सिंह से मिलने में गया तो केवल राजी खुशी की बात हुई थी। मै सन् 1980 में पढ़ता नही था मेरे 1980 से मक्खन सिंह से सम्बन्ध बने रहे। फिर मै उनके पास आता जाता रहा। मेरी मक्खन सिंह से मुलाकात उनके साले बाबू लाल के माध्यम से हुई थी। मैने वादी के घ ार सन् 1984 से आना जाना बन्द कर दिया था। मेरे व वादी के बीच में सम्बन्ध खराब हो गये थे। मेरे सम्बन्ध इस वजह से खराब हुए कि मैने एक प्लॉट कृष्णा बाग कालोनी दयालबाग में खरीदा था जिसके मूल कागजात वादी के पास रखे थे। मैने अपने प्लॉट के कागज वापस मांगे तो वादी ने देने से मना कर दिया। मैने मूल कागज वापस न करने के सम्बन्ध में वादी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की । मैने अपने प्लॉट की बावत 17220/– रूपये जमा किये थे ये सभी रूपये मैने एक बार में जमा किये थे। मैने नकद रूपये जमा किये थे चैक से कोई रूपया जमा नही किये थे। आगे इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मै सन् 1980 से 1984 तक वादी के क्वाटर में रहा हूँ। इनके क्वाटर में रहकर पढाई करता था। खर्चा मै स्वयं उठाता था । मै खाना स्वयं बनाता था। मै वादी के घर में रहकर खेती करता था। मै मक्खन सिंह के यहॉ किराये पर रहता था। किराये की कोई लिखापढी नही थी। किराया 200/– रूपये माह देता था। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि मैने ट्रैक्टर सन् 1983 में खरीदा था। उस समय मै वादी के यहां नही रहता था, लेकिन उस समय मेरा वादी के यहॉ आना जाना था। मुझे कोई सात हजार रूपये की जरूरत नही पडी थी। मेरे पास खुद खेती के पैसे थे। मैने दिनांक 21.6.83 को इण्डियन ओवरसीज बैक ढाकरान का चैक मुव0 4500/– रूपये वादी ने मुझे दिया था कि मुझे समय नही है । मुझे यह चेक भुना कर दे दिया और मैने वहयप्ये बैक से निकालकर वादी को वापस दे दिये थे। यह कहना गलत है कि चैक वाले दिन चैक वाली दिनांक को मैने मक्खन सिंह से 2500/– रूपये प्राप्त किये हो। यह कहना गलत है कि बन्दूक खरीदने के लिए 940/– रूपये मैने वादी

से उधार लिये हो। मैने वादी को एक पत्र लिखा था जो दिनांक 3.8.82 को मक्खन सिंह को लिखा । मैने वादी को मनाक र दिया कि मै लाहा बेच चुका था और 75ग पत्र में मैने जो लिखा है वह सही लिखा है 430/– रूपये प्रति कुन्टल के हिसाब से मैने लिखा है । यह कहनाग लत है कि मेरा व मेरे भाईयो के बीच मक्खन सिंह वीाद का कोई हिसाब किताव हुआ हो और हिसाब किताव की कोई लिखा पढी हुई हो। यह कहना भी गलत हे कि दिनांक 1.11.83 को मेरे और वादी के बीच कोई हिसा हुआ हो और उस पर मेरे हस्ताक्षर हो। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 8.2.84 को मेरे भाई बलवीर सिंह ने वादी से कोई हिसाब किताब किया हो। यह कहना भी गलत है कि मुझे पर वादी के 31585/– रूपये निकलजते हो । यह कहना भी गलत है कि वादी ने मय ब्याज के 44220/–रूपये 49 पैसे की मांग की है जिसे देने से मैने मना कर दिया।

यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादी के क्वार्टर मे में बतौर रिश्तेदार रहता आया है तथा वादी के आगरा के सरकारी क्र्वाटर को दिनांक 5.1.84 को छोड़ने के लगभग 3–4 माह बाद ही दिनांक 18.4.84 को प्रतिवादी ने अपने खर्चो की पूर्ति हेतु अपनी कृषि जमीन बेचने का इकरारनामा भगवानसिंह के नाम कर दिया। स्वयं जिरह में कागज सं0 36ग के पृष्ठ 4 में कहा है कि मैने जमीन बेचने का 25000/– रूपये में इकरारनामा किया था। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने गरीबी हालत में रहने के कारण ही वादी से आर्थिक सहायता ली। अपने जिरह के पेज 322क/10 में कहा है कि आज मेरे पास कोई खेती नही है सब बेच दी है पहले मेरे पास 40 बीघा कच्ची खेती थी। इसी प्रकार डी0डब्लू–1 ने अपनी जिरहों कागज सं0 322क/12 की अन्तिम लाइन कागज सं0 75ग विलुप्त सं0 9ग/10 को स्वयं स्वीकार करते हुए सिद्ध किया है कि वादी द्वारा की गयी आथ्रिक सहायता के भुगतान में प्रतिवादी ने अपनी खेती की उपज की फसल का प्रयोग करना स्वयं स्वीकारा है तथा अन्य साक्षियो ने भी वादी की आर्थिक सहायता प्रतिवादीगण ने स्वयं स्वीकार की है। जिरह में प्रतिवादी ने यह वायदा किया था कि अपने खेतो की जो उपज होगी वादी द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता को चुकता कर देगें। इसी प्रकार डी0डब्लू–1 नेग जिरह के पेज–5में यह तथ्य स्वीकार किया है कि पावर आफ

अटौर्नी मैने लिखी है। इस पावर आफ अटोर्नी कागज सं0 88ग (विलुप्त सं0 9ग / 23) की लाइन 7,8,9 में प्रतिवादी ने लिखी है कि मक्खन सिंह पुत्र स्व0 दाताराम निवासी जिला अलीगढ के हैं । उन पर मै पूर्ण विश्वास करता हूँ और वह मेरे पूर्ण कार्यो में निस्वार्थ तन, मन एवं धन से सहायक सिद्ध रहते है। इससे भी यह सिद्ध है कि वादी ने प्रतिवादीगण की आर्थिक सहायता स्वीकार की है।

डी0डब्लू–2 महेन्द्र सिंह ने भी अपनी जिरह केपेज सं0 307क / 6 में कहा है कि मेरे सामने मक्खन सिंह ने सबसे पहले रामवीर को दिनांक 23 मइ 81 को 940 / – रूपये बन्दूक के लिए दिये थे। इस तथ्य को रामवीर सिंह ने भी अस्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुये कहा है कि मैने बन्दूक का लाइसैस बनवाया था । लाइसैस मैने 1981 में बनवाया था। इसी प्रकार वादी द्वारा 7000 / –रूपये की आर्थिक सहायता के बारे में पूछने पर जिरह सं0 322 / 12 की छंटवी लाइन में डी0डब्लू–1 ने कहा है कि मैने ट्रैक्टर सन् 1983 में खरीदा था और तारीख व महीना नही बताया ताकि दिनाक 21.6.83 को 7000 / – रूपये देना सिद्ध न हो सके, परन्तु डी0डब्लू–1 ने जिरह की 12वी लाइन में यह स्वीकारा है कि मैने दिनांक 21.6.83 को इण्डियन ओवरसीज बैक ढाकरान चौराहा का चैक मुव0 4500 / – रूपये वादी ने मुझे दिया था। यह भी वादी द्वारा प्रतिवादी को आर्थिक सहायता देना सिद्ध करता है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी रूपयों के ब्याज का लेन देन का कार्य करता था उसी अनुक्रम में वादी ने प्रतिवादीगण की आर्थिक सहायता की थी उसका कोई भी रिकोर्ड वादी ने ठीक से नहीं रखा है। चूंकि वादी द्वारा लेन देन का कार्य किया जाता था और उसने अलग अलग पैसे का उल्लेख किया है अस्तु यह साक्ष्य में नही माना जा सकता।

इस बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 लेखा पुस्तिका के सम्बन्ध में प्रावधान करती है , परन्तु यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को जो भी आर्थिक सहायता दी गयी वह वादी व प्रतिवादीगण के निकटसम्बन्धी होने के कारण की गयी है क्योंकि प्रतिवादी वादी के सरकारी क्वाटर डी–18 / 1 दीवानी कचहरी में रहा है यह तथ्य प्रतिवादी ने

स्वयं अपनी जिरह में स्वीकार किया है। जहां तक रूपये के लेन देन के प्रपत्रो पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षरों का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से पी0डब्लू–3 के रूप में आलोक कुमार जैन हस्तलेख विशेषज्ञ को परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया हे कि मेरी राय में विवादित हस्ताक्षर एवं हस्तलेख उसी व्यक्ति रामवीर एवं बलवीर द्वारा लिखे गये है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से डी0डब्लू–2 राजकुमार श्रोत्रिय अंगुल चिन्ह एवं हस्तलेख विशेषज्ञ ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मेरी राय में अग्रेजी व हिन्दी में विवादित हस्ताक्षर डी–1 लगायत डी–4 उस व्यक्ति द्वारा नही लिखे गये जिसके द्वारा स्वीकृत ए–1 लगायत ए–6 तथा ए–7 लगायत ए–10 लिखे गये है। इस प्रकार वादी की ओर से प्रस्तुत हस्तलेख विशेषज्ञ व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तलेख विशेषज्ञ ने अलग अलग राय दी है। इस बिन्दु पर न्यायालय का मत है कि वादी की ओर से रूपये के ब्याज के लेन देन के सम्बन्ध में जो प्रपत्र दाखिल किये गये उन पर प्रतिवादी रामवीर सिंह के ही हस्ताक्षर प्रतीत होते है। इस प्रकार वादी व उसके साक्षियों की जिरह में ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया है जिससे वादी व उसके साक्षियों की जिरह की विश्वसनीयता खण्डित होती हो तथा वादी ने अपने वादपत्र के कथनों का समर्थन किया है। प्रतिवादी से जो विस्तृत जिरह की गयी है उससे वादी के वादपत्र के कथनो को ही बल मिलता है

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निम्नलिखित नजीरे दाखिल की गयी है

1. ए0आई0आर0 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1406 सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन बनाम वी0सी0 शुक्ला आदि

2.ए0आई0आर0 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 1269 चन्द्रकान्ताबेन जे. मोदी एवं नरेन्द्र जयन्ती लाल मोदी बनाम वेदीलाल बापालाल मोदी एवं अन्य

3. ए0आई0आर0 1979 कलकत्ता पेज 50

उपरोक्त विधि व्यवस्था के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्यों से भिन्न है इसलिए उपरोक्त नजीरे प्रस्तुत वाद में लागू नही होती है।

उपरोक्त मोखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि । अत वादी यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रतिवादी ने वादी से भिन्न

भिन्न तारीखो में कथित भिन्न धनराशियॉ प्राप्त की और भिन्न तारीखों पर सामान दिया। वादी प्रतिवादी से 44220.49 रूपये पाने का अधिकारी है। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाते है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4 व 5

वाद बिन्दु संख्या–4 व 5 इस प्रकार विरचित किये गये है कि क्या वाद उ0 प्र0 रेगूलेशन ऑफ मनी लैण्डिग अधिनियम की धारा 10,14,15,व 18 से बाधित है?तथा क्या वादी ने अधिनियम 1976 रैगूलेशन ऑफ मनी लैण्डिग एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन किया है? यदि हां तो प्रभाव? वाद बिन्दु संख्या–4 व 5 एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन वाद बिन्दुओ को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की है चूंकि यह वाद वादी व प्रतिवादी के मध्य रूपये के लेन देन का है इसलिए अधिनियम 1976 रैगूलेशन आफ मनी लैण्डिग इस वाद में लागू नही होता है।

तद्नुसार यह दोनो वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के बिरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते हैं।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–3

वाद बिन्दु संख्या–3 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ? इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित होता हो कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ।

तद्नुसार यह वाद बिन्दु वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के बिरुद्ध निर्णीत किया जाता हैं।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–6

यह वाद बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है। वाद बिन्दु संख्या–1 व 2 के निष्कर्ष के आधार पर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय आज्ञप्त किये जाने योग्य है। चूंकि वादी द्वारा उपरोक्त धनराशि 44220.49 मय ब्याज दोरान

व आयन्दा की याचना की गयी है । अतः वादी को उक्त धनराशि पर व्यवसाय के साधारण उपक्रम में 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना भी न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण सव्यय आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह मुव0 44220.49 रूपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दौरान ब्याज व आयन्दा वादी को निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर अदा करें अन्यथा वादी को अधिकार होगा कि वह उक्त धनराशि नियमानुसार न्यायालय के जरिए वसूल करेगा।

एस0डी0

दिनांक 07.05.2015

(कविता मिश्रा)
अपर सिविल जज(सी0डि0)
न्यायालय संख्या–3,आगरा।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जा कर सुनाया गया।

एस0डी0

दिनांक 07.05..2015

(कविता मिश्रा)
अपर सिविल जज(सी0डि0)
न्यायालय संख्या–3,आगरा।